

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र / Variable Energy Cyclotron Centre

1/एफ., बिधान नगर, कोलकाता-700064
1/AF Bidhan Nagar, Kolkata-700064

सं/Ref:वीईसीसी/VECC/प्रशा/Adm/सीएचएसएस/CHSS/2013/ 324

February 08, 2013

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : सीएचएसएस, कोलकाता के अंतर्गत अपोलो ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल, कोलकाता को अतिविशिष्ट अस्पताल के रूप में मान्यता दिया जाना

Sub : Recognition of Apollo Gleneagles Hospital, Kolkata as Superspeciality Hospital under CHSS, Kolkata

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अस्पताल को तात्कालिक प्रभाव से आउटडोर तथा इनडोर चिकित्सा के लिए सीएचएसएस, कोलकाता के अंतर्गत आनेवाले अतिविशिष्ट अस्पतालों की सूची में शामिल किया गया है :

This is to notify that the following hospital has been included in the list of Superspeciality Hospitals under CHSS, Kolkata for Outdoor and Indoor treatment with immediate effect :

अपोलो ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल
58, केनाल सर्कुलर रोड,
कोलकाता - 700 054
फोन नं : 2320 2122/3040

Apollo Gleneagles Hospitals
Canal Circular Road,
Kolkata- 700 054
Phone: 2320 2122/3040

क्रेडिट आधार पर अपोलो ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल (अब से अपोलो हॉस्पिटल के रूप में निर्दिष्ट/उल्लिखित) में चिकित्सीय उपचार कराने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि बनाई गई है :

The following procedure has been formulated for availing medical treatment at Apollo Gleneagles Hospital (hereinafter mentioned as Apollo Hospital) on credit basis:

1. सीएचएसएस लाभार्थी चिकित्सा अधिकारी, वीईसीसी या सीएचएसएस, कोलकाता के अंतर्गत मुख्य (Base) अस्पताल (अर्थात् मिशन ऑफ मर्सी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, कोलकाता) द्वारा भेजे जाने पर ही अपोलो हॉस्पिटल में निम्नलिखित सुपर-स्पेशलिटी के लिए क्रेडिट आधार पर आउटडोर तथा इनडोर चिकित्सीय उपचार का लाभ उठा सकेंगे।

CHSS beneficiaries will be able to avail of both Outdoor and Indoor medical treatment from Apollo Hospital on credit basis for the following super-specialities only when referred by Medical Officer, VECC or Base Hospital under CHSS, Kolkata (i.e., Mission of Mercy Hospital & Research Centre, Kolkata) :

- कार्डियोलॉजी / Cardiology
- कार्डियो छाती रोगों की सर्जरी / Cardio Thoracic Surgery
- आर्थोपेडिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी (टीकेआर, टीएचआर आदि) / Orthopaedic-Joint Replacement Surgeries (TKR, THR etc.)
- कैंसर विज्ञान रेडियोथेरेपी एण्ड कीमोथेरेपी/Oncology-Radiotherapy & Chemotherapy

- v. नेफ्रोलॉजी एण्ड गुर्दे प्रत्यारोपण सहित मूत्रविज्ञान/Nephrology and Urology including Renal Transplant
- vi. बाल चिकित्सा सर्जरी/Paediatric Surgery
- vii. न्यूरोसर्जरी/Neurosurgery

2. अगर लाभार्थी बिना रेफरल पत्र के अपोलो हॉस्पिटल में मेडिकल चिकित्सा के लिए जाते हैं तो वे क्रेडिट आधार पर चिकित्सा के हकदार नहीं होंगे। बिना रेफरल पत्र के अपोलो हॉस्पिटल में मेडिकल चिकित्सा के लिए लाभार्थी सीएचएसएस कार्ड दिखाने पर ही निम्नलिखित के आधार पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर पायेंगे :

A beneficiary will not be eligible for medical treatment on credit basis, in case the beneficiary visits Apollo Hospital without a referral letter. A beneficiary who visits Apollo Hospital without a referral letter will be able to avail treatment in accordance with the following only on production of CHSS Card :

- a) ओपीडी कंसलटेशन फीस रु.240/- / OPD Consultation Fees of Rs.240/-
- b) ओपीडी इन्वेस्टिगेशन चार्ज पर 10% की छूट / A discount of 10% on OPD Investigation charges.
- c) अस्पताल के रेट पर इंडोर मेडिकल चिकित्सा / Indoor medical treatment at hospital rates.

3. अपोलो हॉस्पिटल में पंजीकरण के लिए लाभार्थी पंजीकरण पटल पर वैध सीएचएसएस कार्ड तथा मूल रेफरल पत्र प्रस्तुत करेंगे। पंजीकरण के उपरान्त, उक्त अस्पताल मूल रेफरल पत्र रख लेगा और सीएचएसएस कार्ड लाभार्थियों को लौटा देगा।

During visit to Apollo Hospital, beneficiaries shall produce valid CHSS Card and original Referral letter at the Registration Counter for the purpose of registration. After registration, the Hospital will retain the original Referral letter and return the CHSS Card to the beneficiaries.

4. अपोलो हॉस्पिटल में पंजीकरण के लिए रेफरल पत्र जारी होने की तारीख से 7 कार्य दिवसों की अवधि के लिए वैध रहेगा। एक बीमारी के लिए आउटडोर में उपचार अवधि 3 महीने या 6 परामर्शों, जो भी पहले हो, तक ही सीमित रहेगी। फिर भी, यदि कोई ओपीडी डाक्टर किसी लाभार्थी को एक वर्ग से दूसरे वर्ग के लिए रेफर करता है तो लाभार्थी को अगला उपचार कराने की भी अनुमति होगी। तथापि, उपचार अवधि की सीमा तथा परामर्शों की संख्या पर रोक लागू रहेंगे।

For the purpose of registration at the Apollo Hospital, referral letter shall remain valid for a period of seven working days from the date of its issue. For a particular ailment, duration of treatment in Outdoor will be limited to three months or six consultations, whichever is earlier. If, however, an OPD doctor refers a beneficiary from one discipline to another discipline, the beneficiary will be allowed to take further treatment. However, limitation of period of treatment and restriction of number of consultations will still apply.

5. आउटडोर चिकित्सा के लिए अपोलो हॉस्पिटल द्वारा लाभार्थियों को क्रेडिट आधार पर कोई दवा नहीं दी जायेगी। फिर भी, दवा खरीदने के बाद प्रस्तुत दावे की प्रतिपूर्ति इस केन्द्र द्वारा मौजूदा नियमों के अनुसार की जायेगी। इनडोर चिकित्सा के लिए क्रेडिट आधार पर लाभार्थियों को दवा दी जायेगी।

For outdoor treatment, no medicines will be provided to the beneficiaries by the Apollo Hospital on credit basis. However, claims submitted in this Centre after purchase of medicines will be reimbursed as per the extant rules. In case of indoor treatment, medicines will be supplied to the beneficiaries on credit basis.

6. आवश्यकता पड़ने पर, विशेष नर्स/आया/विशेष एटेंडेन्ट की व्यवस्था लाभार्थियों को अपने खर्च पर खुद करनी होगी ।

Special Nurse/Aya/Special Attendant, wherever needed, shall be arranged by the beneficiaries at their own cost.

7. अपोलो हॉस्पिटल में शय्या हकदारी इस प्रकार से है :

Entitlement of bed in Apollo Hospital is as follows :

वर्ग/Category (सीएचएसएस कार्ड में यथावर्णित) (as indicated in CHSS Card)	शय्या हकदारी/Entitlement of Accommodation
I तथा I(आर) I and I(R)	प्राइवेट वार्ड Private Ward.
II तथा II(आर) II and II(R)	दो शय्या वाला वार्ड Two bedded Ward
III तथा III(आर) III and III(R)	चार शय्या वाला वार्ड Four bedded Ward.

सभी सीएचएसएस लाभार्थियों से अनुरोध है कि ऊपर वर्णित क्रियाविधियों का कड़ाई से पालन करें तथा इस मामले में सहयोग करें ।

All CHSS beneficiaries are requested to strictly follow the above procedure and cooperate in the matter.

(ए. बनर्जी / A. Banerjee)

प्रशासनिक अधिकारी-III/Administrative Officer-III

सभी सूचना पट्ट /All Notice Boards

प्रतिलिपि:/Copy

1. निदेशक, वीईसीसी , कोलकाता ।
2. निदेशक का कार्यालय, वीईसीसी , कोलकाता
3. सह निदेशक (त्वरक), वीईसीसी , कोलकाता ।
4. अध्यक्ष, सीएचएसएस समिति, वीईसीसी, कोलकाता ।
5. सभी वर्ग प्रमुख, वीईसीसी, कोलकाता ।
6. वीईसीसी, कोलकाता में स्थापित डीआई के अन्य इकाईयों के वर्ग प्रमुख ।
7. प्रमुख, चिकित्सा अनुभाग, वीईसीसी कोलकाता ।
8. उप लेखा नियंत्रक, वीईसीसी , कोलकाता ।
9. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वीईसीसी, कोलकाता ।
10. सम्पर्क कार्यालय, एएमडी (ईआर), कोलकाता ।
11. प्रमुख, सीई, एनपीसीआईएल, कोलकाता एकक
12. क्रय अधिकारी, सीआरपीयू, कोलकाता ।
13. सहा. निदेशक (राभा), वीईसीसी, कोलकाता ।
14. सचिव, वीईसीसी, कर्मचारी संगठन ।
15. सीएचएसएस, कोलकाता के अंतर्गत आने वाले सभी सेवानिवृत्त कर्मचारीगण ।